M.P. INDUSTRIAL DEVELOPMENT CORPORATION LTD.
14 JUL 2022
Inward No. 9639

मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग
:: आदेश ::

भोपाल दिनांक 13/07/2022

क्र. एफ 16-55/2021/ए-ग्यारह :राज्य शासन एतद् द्वारा मेसर्स अल्ट्राटेक सीमेंट लि. (इकाई - मैसर्स धार सीमेंट वर्क्स) की तहसील-मनावर, जिला-धार में रूपये 975 करोड़ के स्थाई पूंजी निवेश से विस्तार संबंधी प्रस्ताव (DIPIP 23092) पर निम्नानुसार सुविधाएं दिये जाने का निर्णय लिया गया -

1. **निवेश प्रोत्साहन सहायता** - उद्योग संवर्धन नीति 2014 (यथा संशोधित 2021) में प्रावधानित निवेश प्रोत्साहन सहायता परियोजना अन्तर्गत यंत्र-संयंत्र तथा भवन में किये गये निवेश पर 20 प्रतिशत की स्थिर दर से 7 वर्षों की अवधि में शर्तों के अध्याधीन प्रदान की जाये। परियोजना को योजना अन्तर्गत प्रावधानित निर्यात गणक का लाभ शर्तों के अध्याधीन पृथक से प्राप्त होगा। विस्तार परियोजना हेतु रोजगार गणक '1' मान्य किया जाये।

2. **विद्युत टैरिफ में रियायत** - इकाई को वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 5 वर्षों हेतु प्रचलित विद्युत दर पर रूपये 1/- प्रतियूनिट की दर से छूट प्रदान की जाये। यह स्पष्ट किया जाता है कि यह छूट विद्युत नियामक आयोग द्वारा विद्युत टैरिफ पर दी जा रही छूट, यदि कोई हो तो, के अतिरिक्त होगी। उक्त छूट की प्रतिपूर्ति एमपीआईडीसी द्वारा संबंधित इकाई को की जाये।

3. **विद्युत शुल्क से छूट** - विस्तार परियोजना अंतर्गत वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ करने के दिनांक से 10 वर्षों हेतु, विद्युत वितरण कंपनी से क्रय की गई ऊर्जा पर विद्युत शुल्क से छूट प्रदान की जाती है।

4. परियोजना को उद्योग संवर्धन नीति, 2014 (यथा संशोधित 2021) अन्तर्गत प्रावधानित अन्य सुविधाओं का लाभ विहित शर्तों के अध्याधीन प्राप्त होगा।

5. परियोजना को स्वीकृत सुविधाओं का लाभ इस शर्त पर प्राप्त होगा कि परियोजना में इस परिप्रेक्ष्य में आदेश जारी होने की दिनांक से प्रतिबद्ध निवेश के साथ 3 वर्ष में वाणिज्यिक उत्पादन प्रारंभ कर लिया जाये।

6. कम्पनी की शेष अन्य मांगों को अमान्य किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम
से तथा आदेशानुसार

(संजय कुमार शुक्ल)
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग

पृ. क्र. एफ 16-55/2021/ए-ग्यारह
भोपाल, दिनांक 13 /07/2022

प्रतिलिपि:-

1. उप सचिव, मध्यप्रदेश शासन, मुख्य सचिव कार्यालय, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, वित्त विभाग/ऊर्जा विभाग/नवीन एवं नवकरणीय ऊर्जा विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल।
3. आयुक्त, इन्दौर सभांग इन्दौर।
4. कलेक्टर, जिला - धार।
5. प्रबंध संचालक, मध्यप्रदेश इण्डस्ट्रीयल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि. भोपाल।
6. आथोराइज्ड सिग्नेटरी, M/s Ultra Tech Cement Limited, (Maihar Cement Works, M.P.) Ahura Centre, 'B' Wing, 2nd Floor, Mahakali Caves Road, Andheri (East), Mumbai - 400093!

- की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश शासन
औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन विभाग